राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3504/2025

श्रीमति मंजु तेली

–अपीलार्थी

बनाम

अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2025
आदेश की दिनांक : 29.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार अध्यापक के पद पर वर्ष 2019 में हुई जिला चित्तोडगढ में हुई थी। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर 6 वर्ष हो गये है अपीलार्थी के पति चिकित्सा विभाग में प्रतापगढ जिले में पदस्थापित है। अपीलार्थी के वृद्ध सास ससुर है जो अक्सर बीमार रहते है। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है बच्चे छोटे है जो कि अध्ययनरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक परिक्षण जारी किया गया। उक्त परिपत्र में अंकित किया जो कार्मिक नोन टी एस पी से टी एस पी क्षेत्र में आना चाहता है या टी एस पी क्षेत्र से नोन टी एस पी क्षेत्र में आना चाहता है उनके लिए आवेदन प्राप्त कर उस पर विचार किया जाना चाहिये। अपीलार्थी ने अपना स्थानान्तरण नोन टी एस पी क्षेत्र से टी एस पी क्षेत्र में अपना स्थानान्तरण करने हेतु दिनांक 13.1.2025 को अभ्यावेदन दिया परन्तु अपीलार्थी के उक्त अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं कियां गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी के द्वारा दिए गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया तो अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 25.2.2025 को कानूनन नोटिस दिया उक्त नोटिस मिल जाने के पश्चात ना तो नाटिस का जवाब दिया ना ही कोई कार्यवाही की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जचपुर पीठ जयपुर याचिका संख्या

1665/2024 पवन कुमार मीणा बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 2.2.2024 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि कार्मिक को प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तारण समय अवधि में किया जाना चाहिए।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के द्वारा दिया गया अभ्यावेदन दिनांक 13.1.2025 का निस्तारण कराया जावे

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य